

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ ()तक/उवसं/2017-18/3685
निमित्त :

दिनांक : 30.8.17

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय : Diversion of 57.778 ha. Foret land for dovelopment of Nagaaur-Tarnau road section of SH-169 from km 0.00 to km 39.688 district Nagaur (Raj.)

संदर्भ : प्रस्ताव में प्रमवसं राज. कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेप F14 (ROAD) 2017/FCA/PCCF/CCF/EDS-1 Date 8.8.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव में EDS द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पैरावाइज पूर्ति इस कार्यालय पूर्व पत्रांक 3605 दिनांक 23.08.2017 कि गई है एवं पुनः पैरावाइज पूर्ति निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-3 (xvii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेश की प्रति में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिये हैं।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-iv में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अपलोड किये गये DGPS/Total station map में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सभी कॉनर्स के जी0पी0एस0 दे दिये गये हैं।
3. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा जिला कलेक्टर नागौर द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्र के साथ बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर दी गई है।
4. पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 (i) में संलग्न KML File में
 1. मालपुरा कांटली का सही क्षेत्र 46 है. दर्शाया गया है।
 2. टोंक रेन्ज के सोयला का सही क्षेत्रफल 70 है. दर्शाया गया है।
 3. प्रोटेक्टेड क्षेत्र का नाम अंकित कर दिया गया है।
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वन मंडल टोंक द्वारा प्रस्तावित कर दी गई है।
6. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का DGPS Map शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिया गया है।
7. दो Gt Sheet (for two plantation) में शीर्षक तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिया गया है।
8. उप वन संरक्षक टोंक द्वारा दिये गये स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र दोनों वृक्षारोपण का क्षेत्रफल दस्तावेज के अनुरूप कर दिया गया है। उक्त भूमि गैर विवादित है इस आशय का प्रमाण पत्र में उल्लेख कर दिया गया है।

9. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र की विधिक स्थिति का उल्लेख कर दिया गया है।
- 10व11. चैन ऐज वाइज वाइज वृक्षों की सूची (मय वैज्ञानिक नाम) ऑन लाइन संलग्न कर दी गई है। उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। संलग्न सूची में दी गई सूची से मिलान कर रही है।
12. मुख्य वन संरक्षक अजमेर स्तर अपेक्षित है।
13. प्रस्ताव की हार्ड प्रति पर इंडेक्सिंग, ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न किये गये पूर्ण दस्तावेज, हार्ड प्रति पर अधिकृत अधिकारी उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर मय नाम पद दिनांक व. मुहर कर दिये गये हैं।
14. प्रस्ताव ऑनलाइन करते समय मूल दस्तावेज ऑनलाईन किये हैं। साथ ही तीन प्रति एक मूल व दो फोटो प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

लेखन : २५/११/२०१६

भवदीय

(वेद प्रकाश गुर्जर)

उप वन संरक्षक

नागौर